निगरानी 551-PBR-15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

1– शंकर पिता सालेंगराम जाति रघुवंशी उम्र 55 वर्ष

2– विष्णु पिता सालेगराम जाति रघुवंशी उम्र 45 वर्ष

दोनो का धंधा खेती निवासी ग्राम सागौर तह0 व जिला धार

.....निगरानीकर्ता

बनाम

मुन्नीबाई पति सालेगराम जाति रघुवंशी उम्र 50 वर्ष

निवासी ग्राम राजोद तह0 सरदारपुर जिला धार

.....विपक्षी

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता तर्फे अत्यन्त विनम्रता से निवेदन है कि निगरानीकर्ता का विनम्र निवेदन है कि मुन्नीबाई को ग्राम सागौर की भूमि सर्वे नंबर 901, 911/1, 911/2, 912, 914/1, 915/1, 115/3/क, 933/1, 935 कुल नंबर 10 रकबा 4.593 हैक्टर में मुन्नीबाई को कोई हक नही है कब्जा नही है उसकी मूल कार्यवाही बेसुद है अंदर मियाद अपील नही थी ऐसी दशा में मूल न्यायालय ने याने तहसील ने मेरा विधिवत नाम किया था उसकी अपील मुन्नीबाई की विधिक नही थी नामांतरण पंजी क्रमांक 35 आदेश दिनांक 30. 11.2011 की आज्ञा वैध थी विधिक थी ऐसी दशा में ऐसी वैध आज्ञा की अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व क्षेत्र धार ने ग्राम सागौर की भूमि जिसका जिक्र अपील मेमो के उक्त निगरानी में किया है विधिक नाम हुआ है अतः उसके बावजुद अपील विचारण योग्य नही होते हुए व मुन्नीबाई को धारा 111 भूरासं मुजब दिवानी में जाने का हक है यह विधि होते हुए राजस्व अनुविभागीय अधिकारी महोदय धार ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 51/2011–12 में आज्ञा दिनांक 23.02.2015 द्वारा मेरा हक समाप्त कर दिया। प्रतिपरीक्षण का हक समाप्त कर दिया जो कि मुझे विधिक हक है। कायदे से कास्ट का समय देना था मैने वाजिब मांग की थी जो नामंजुर कर दी ऐसी दशा में उक्त आज्ञा दिनांक 23.02.2015 द्वारा पार्ट लेने से रोक दिया व प्रतिपरीक्षण हेतु जो मेरा बुनियादी हक है उसे कारण नही

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-551/पीबीआर/2015 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अत: संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, धार को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	